संख्या-22/2018/693/क0नि0प्र0/26-3-18-6(35)/2006

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ:दिनांक: 24 मई,2018

समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-398/लेखा/बजट/2018-19 दिनांक 15 मई,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास के व्यय हेतु रू0 1,95,00,000/- (रू0 एक करोड़ पचानबे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत योजनान्तर्गत नियमानुसार लाभार्थियों का चयन एवं दुकान स्थल का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रबन्ध निदेशक जनपदों से सदुपयोगिता का विस्तृत विवरण प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायेगें।

3- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी0एल0ए0/ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस;पी. के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची आदि के संबंध में अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक एवं प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और किसी भी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

7- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0107-किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत दुकान निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता से अंशदान(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2018/693(1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।